

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 42 /2022 दिनांक : 09.03.2022

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./10/2022 दिनांक 11.02.2022 को निरस्त करते हुए श्रीमती अनिता टेलर (RJ0590), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को दिनांक 21.03.2022 से 25.03.2022 तक 05 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 20.03.2022 एवं 26.03.2022 से 27.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती टेलर की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08.03.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/47/2008/1923

दिनांक : 09.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 1450 दिनांक 28.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता टेलर (RJ0590), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु।


सहायक रजिस्ट्रार